(21)

निग - 2932- II - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

1– पार्वती बेवा काशीराम
2– बच्ची पुत्र श्री हल्के राम
3– कल्याण पुत्र श्री हल्के राम
4– कृष्णकांत उर्फ खेरू पुत्र श्री काशीराम
निवासीगण – शेरगढ़ तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– गजानन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश
2– राधेश्याम पुत्र श्री ओमप्रकाश
3– निकेता पुत्री श्री कुजबिहारी
निवासीगण – नरवर तहसील – नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2015–16/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, तहसीलदार तहसील नरवर द्वारा आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, तहसीलदार नरवर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को रोका जाना चाहिये इस वैधानिक आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2932–दो/2016 जिला–शिवपुरी

पार्वती आदि विरूद्ध गजानन्द आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 30/2015–16/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 27–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	